Systematic Education, Nurturing,

&

Sensitization of Electorate

(SENSE)

Voter Awareness through Information & Motivation

"मतदाता जागरूकता अभियान"

जानकारी और अभिप्रेरणा से मतदाता जागरूकता

नगरीय निकाय

एंव

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन–2014

म0प्र0 राज्य निर्वाचन आयोग

58, निर्वाचन भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

Website : www.mplocalelection.gov.in
E-mail id : commissionersec@gmail.com

Index

पृष्ठ क्रमांक

- प्रस्तावना

1 वर्तमान परिस्थितियो का आकलन 4
Assessment of Present Status and Condition
2. नियोजन एवं रणनीति 5
Strategy & Planning
3. क्रियान्वयन 6
Implementation
4. परिसर दूत 9
Campus Ambassador
5. प्रचार एवं संचार योजना 10
Media & Communication Plan
6. आयोजन एवं गतिविधियां 11
Physical Events & Activities
7. मतदाताओ को सुविधाएं 12
Voters Facilitation
8. मतदाता जागरूकता अभियान कलेण्डर 14
SENSE Calendar
9. सर्वोच्च अधिमान्य क्षेत्र 15
Highest Priority Areas
10. पर्यवेक्षण एवं आकलन 16
Monitoring and Review
11. मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण 17
Evaluation and Documentation
12. नगरीय निकाय तथा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन –2014 17

प्रस्तावना

भारत विविधता में एकता और बहुभाषी एवं बहु संस्कृति वाला देश है, इतनी भिन्नता के बाद में हम एक हैं। हमारे देश का संविधान एक है । निर्वाचन की पद्धति एक हैं हमें विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र होने का गौरव प्राप्त है, लेकिन यदि हम अपने देश के सम्पूर्ण वयस्क आबादी मे से प्रत्येक को मतदाता बना सके, तो इससे लोकतंत्र सशक्त होगा । देखने में आता है कि, हमारे देश में एक बहुत बड़ी आबादी मतदान प्रक्रिया में शामिल नहीं होती है । इसके बहुत से कारण हैं, लेकिन प्रश्न यह हैं कि यदि देश की वयस्क आबादी ही लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेगी तो फिर देश का प्रजातंत्र किस तरह मजबूत होगा ? निर्वाचन आयोग भारत सरकार ने इसे अत्यन्त गंभीरता से लेते हुए इस दिशा मे सकारात्मक कदम उठाये हैं और इसका परिणाम भी देखने में आ रहा हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत बढ़ा है । ऐसा ही कुछ स्थानीय निर्वाचनों में भी किया जाना आवश्यक एवं अपेक्षित है ।

मतदान की प्रक्रिया में सम्मिलित ना हो पाने के बहुतेरे कारण हो सकते हैं। इन कारणों को चिन्हित किया गया है । इनको किस तरह से दूर किया जा सकता है, उस दिशा में कदम भी उठाए गये हैं । मतदाताओं को सक्रिय करने के लिये एक योजनाबध्द तरीके से कार्य किये जा रहे है, इसको नाम दिया गया है, **Systematic Education, Nurturing & Sensitization of Electorate (SENSE)** । इसे सरल हिन्दी में **"मतदाता जागरूकता अभियान"** भी कह सकते है ।

मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग भी आसन्न **नगरीय निकाय तथा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचनों** में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों का उपयोग करने जा रहा है। जिसमें जन–जागरण की वास्तविक आवश्यकता है, ताकि ना केवल लोकसभा, विधानसभा के निर्वाचन में अपनाये गये समस्त साधनों का प्रयोग हो, बल्कि **नगरीय निकाय तथा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचनों** में होने वाली निर्वाचन की प्रकिया से समस्त मतदाताओं, जिनमें महिलाये, वंचित समूहों के मतदाता एवं नव–मतदाताओं को प्रकिया का ज्ञान प्रदान किया जाना होगा। ऐसा भी नही हैं कि मतदाताओं को इसका ज्ञान नहीं हैं। इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों से वे भलि भॉति परिचित हैं । **नगरीय निकाय तथा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचनों** हेतु उपयोग होने वाली EVM लोकसभा एवं विधानसभा में प्रयुक्त EVM से भिन्न है एवं यह अगली पीढ़ी की है।

यह एक साथ आठ पदों के निर्वाचन एक साथ सम्पन्न कर सकती है। वर्तमान नगरीय निकाय के दो पदों एवं पंचायत के तीन पदो के निर्वाचन में उपयोग की जायेगी। इसमें एक डिटेचेबल मेमोरी मॉड्यूल (Detachable Memory Module –DMM) लगा है। केवल पंच के पद के लिये निर्वाचन पूर्ववत् पारम्परिक छपे हुए मतपत्र से माध्यम होगा। इसी वजह से प्रक्रिया के प्रचार–प्रसार की आवश्यकता और भी घनीभूत हो गई है। मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग लोकतंत्र की भावना एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पंचायती राज की अवधारणा को मूर्तरूप देने के लिये कृत संकल्प है। साथ ही निर्वाचन में व्याप्त धन,बल, जाति, धर्म, क्षेत्रियता आदि की संकीर्ण मनोवृत्ति को दूर कर एक आदर्श जागरूक मतदाता तैयार कर प्रजातंत्र को मजबूत करना है। इस प्रकार से देखा जाये तो **Systematic Education, Nurturing & Sensitization of Electorate (SENSE) मतदाता जागरूकता अभियान** एक वृहत तथा बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसमें एक साथ बहुत सारे पक्ष तथा भागीदार होंगे । इनका समन्वयन, प्रबंधन, तथा क्रियान्वयन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, जो सभी की सक्रिय भागीदारी, जिम्मेदारी की भावना एवं प्रतिबध्दता से ही सम्पन्न हो सकता है ।

1. वर्तमान परिस्थितियों का आकलन
Assessment of Present Status and Condition

सर्व प्रथम हमें यह देखने कि आवश्यकता है कि आज मध्यप्रदेश की स्थिति क्या है? यह किस तरह की भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषायी, जननांकीय (Demographical) आधार पर फैला हुआ है, तथा किस स्थान या क्षेत्र में मतदाता का व्यवहार, रूझान एवं जागरूकता का स्तर कैसा है । साथ ही लिंग के आधार पर मतदाताओं की सहभागिता मे किसी तरह की विषमतायें तो देखने में नहीं आ रही है । यदि आ रही है तो इसका सम्भावित कारण क्या हो सकता है। कही धनबल एवं बाहुबल तो प्रजातंत्र की भावना को कमजोर तो नहीं कर रहा है। इसका आँकलन किया जाना चाहिए । धर्म एवं जाति आधारित संकीर्ण मतदान की प्रक्रिया को हतोत्साहित किया जाना चाहिए एवं मतदाता को व्यापक चिंतन एवं परिप्रेक्ष्य को समझाते हुए उसे एक प्रबुध्द मतदाता (Enlightened Voter) बनाने की दिशा में सार्थक प्रयास किये जाने चाहिए ।

यह भी देखा जाना उतना ही आवश्यक हैं कि क्या किसी भी नगरीय अथवा ग्राम पंचायत के भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले समस्त मतदाता पंजीकृत हैं। यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है। उनका पंजीकरण करने हेतु सार्थक एवं सक्रिय प्रयास किये जाने चाहिए ताकि कोई भी वयस्क नागरिक मतदान पंजीकरण की परिधि से बाहर ना रह जाये।

- लिंग आधारित मतदाता की सहभागिता का आकलन करना ।
- मतदाता पंजीकरण का अनुमान लगाना ।
- मतदाता फोटो परिचय पत्र का आकलन करना ।
- मतदाता पंजीकरण के प्रचार प्रसार के संभावित साधनों, संस्थाओं–शासकीय एवं अशासकीय, हॉट बाजार, मेला, आंगनवाडी आदि का आंकलन करना ।
- धनबल–बाहुबल की पूर्व की घटनाओं के आधार पर योजना बनाना।
- दूरस्थ क्षेत्रों को चिन्हित करना, मतदाता पंजीकरण करना ।

2. नियोजन एवं रणनीति
Strategy & Planning

किसी भी कार्य की सफलता नियोजन एवं तदानुसार बनाई गई रणनीति पर निर्भर करती है। परिस्थितियों का वास्तविक ऑकलन होने के पश्चात नियोजन एवं रणनीति के संधारण में सहायता प्राप्त हो जाती है, चूंकि यह ज्ञात हो जाता है कि हमें किन–किन क्षेत्रो या समस्याओं पर कार्य करना है, उसी आधार पर नियोजन किया जाता है एवं उस नियोजन को अमली जामा पहनाने के लिये रणनीति तैयार की जाती है। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग राज्य स्तर पर नियोजन एवं रणनीति तय करेगा। तब भी यह संभव है कि स्थानीय स्तर पर आवश्यक्तायें एवं समाधान भिन्न हो सकते हैं। अतः आयोग की मंशा है कि राज्य, जिला, तहसील, पंचायत सभी स्तरों पर राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा सुझाये गये दिशा निर्देशों एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन स्थानीय स्तर पर किया जाये । जिलों मे वह सभी कदम उठाये जाये जैसे मतदाता पंजीकरण, महिलाओं, वंचित समूहों को चिन्हित करना एवं उन तक अपनी पहुॅच बना कर उनको मतदाता सूची में शामिल करना

इत्यादि ताकि समाज का प्रत्येक वर्ग मतदान की प्रक्रिया में शामिल हो तथा जमीनी स्तर पर लोकतंत्र मजबूत हो सके। साथ ही आसन्न **नगरीय निकाय तथा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन** में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करने जा रहा है। परिणाम स्वरूप जनजागरण की वृहद एवं वास्तविक आवश्यकता है, इसलिये भी की, इस निर्वाचन के पूर्व विधान एवं लोकसभा निर्वाचनों मे मतदाताओं ने केवल एक ही मत के लिये मशीन द्वारा मतदान किया है। इस बार उनके द्वारा स्थानीय निकायों में EVM द्वारा दो मत तथा पंचायतों में तीन मत देने हैं ।

- जागरूकता अभियान का लक्ष्य निर्धारित करना ।
- जागरूकता अभियान के संभावित भागीदारों का अनुमान लगा, उन्हें चिन्हित करना ।
- नवीन मतदान प्रणाली का प्रचार–प्रसार प्रिंट,दृश्य–श्रव्य माध्यम, रेडियों तथा दिखावटी मतदान केन्द्र बनाकर, प्रचार प्रसार हेतु योजना का निर्माण करना ।
- महाविद्यालयीन एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों विद्यार्थियों के माध्यम से प्रचार सामग्री एवं संकल्प पत्र उनके अभिभावकों तक पहुॅचाने की व्यवस्था करना ।
- घुम्मकड समूहों, बिखरी हुई जनसंख्या को पंजीकरण, तथा मतदान की प्रकिया में शामिल करने की योजना बनाना ।

3. क्रियान्वयन

Implementation

योजनाये कितनी ही अच्छी क्यों ना हो और एक श्रेष्ठ रणनीति भी हो, लेकिन यदि उसका क्रियान्वयन समुचित ढंग से ना किया जाये, तो समस्त प्रयास व्यर्थ चले जाते हैं। अतः **नगरीय निकाय तथा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन** में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन का उपयोग तथा इससे संबंधित जानकारी, इसके साथ ही मतदाता पंजीकरण, महिलाओ, वंचित समूह को चिन्हित करना एवं उन तक अपनी पहुॅच बना कर उनको मतदाता सूची में शामिल करना भी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। क्रियान्वयन की प्रक्रिया को समझने के लिये हम इस तरह से कार्य कर सकते हैं।

1 **दलों का निर्माण–** दलों का निर्माण एक अत्यन्त महत्पूर्ण कार्य है, हमें राज्य निर्वाचन आयोग से लेकर, ग्राम पंचायत स्तर तक दलों का निर्माण करना चाहिए। इस हेतु राज्य निर्वाचन आयोग अपने कार्यालय में एक नियत्रंण एवं पर्यवेक्षण कक्ष रखेगा जो समय–समय पर किये जाने वाले कार्यों की सूचना, प्रारूप एवं योजनाओं को जिला कार्यालयों को प्रेषित करेगा। प्रत्येक जिला निर्वाचन अधिकारी को चाहिए कि वह अपने जिले के स्तर पर दलों का निर्माण इस तरह से करे कि जिला, तहसील, ग्राम पंचायत स्तर तक दलों का निर्माण हो, जैसा कि मोतियों की माला। सभी स्तरो पर बनाये गये दलों, उनको सौपे गये कार्य एवं चाहे गये अपेक्षित परिणाम का विस्तृत विवरण तैयार किया जाना चाहिए। इन दलों के सहयोग के लिये प्रचार प्रसार के साधन, प्रिटेंड सामग्री, ऑडियो, विडियो, प्रशिक्षण आदि का पूर्ण कार्यक्रम तैयार होना चाहिए। जैसा कि विदित है कि **नगरीय निकाय तथा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन** में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन का उपयोग इससे संबंधित जानकारी, मतदाता पंजीकरण, महिलाओं, वंचित समूह को चिन्हित करना आदि भी **Systematic Education, Nurturing & Sensitization of Electorate (SENSE)** अर्थात **मतदाता जागरूकता अभियान** का ही भाग है । अतः इसकी उपेक्षा किसी भी स्तर पर ना हो, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए । प्रत्येक दल अपने स्तर के अनुरूप अपने दायित्व का निर्वहन करेगा, तथा निर्वाचन प्रक्रिया की गुणवत्ता एवं प्रजातांत्रिक मूल्यों को दृढता से स्थापित करने हेतु सहयोग प्रदान करेगा ।

2. जन सहभागिता
People's Participation

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य स्तर पर नियोजन एवं रणनीति का निर्माण करेगा साथ ही प्रत्येक जिला निर्वाचन अधिकारी, अपने जिले के स्तर से दलों का निर्माण कर तहसील, ग्राम पंचायत स्तर तक दलों का निर्माण करेगा, फिर भी केवल प्रशासकीय अमले के द्वारा **SENSE मतदाता जागरूकता अभियान** पूरी तरह सफल नहीं हो सकता है, इस हेतु हमें जन सहभागिता की आवश्यकता होगी, जो कि राज्य, जिला , तहसील एवं पंचायत

स्तर पर किये जाने की आवश्यकता है । इसके लिये स्थानीय रोल मॉडल, स्वयंसेवी संस्थाओं, प्रचार प्रसार मंडलियों का सहयोग लिया जाना चाहिए । किन्तु इसमें ध्यान देने योग्य बात यह हैं कि कि सहयोग प्रदान करने वाली संस्था या व्यक्ति का किसी भी राजनैतिक दल या विचारधारा से कोई संबंध ना हो ताकि निर्वाचन की प्रक्रिया पर किसी तरह का कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े ।

- मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों को **मतदाता जागरूकता अभियान** में जोड़ना ।
- विद्यालयों में संस्था के परिसर में ही इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करना ताकि विद्यार्थी घर जाकर अपने अभिभावकों से इसकी चर्चा करें । साथ ही उन्हें अपने अभिभावकों के पंजीकरण के महत्व को समझाना तथा उन्हें संस्था में पंजीकरण आदि की सुविधा प्रदान करना ।
- महाविद्यालयों में केन्द्र बनाकर आमजन को पंजीकरण आदि में सहयोग करना, इसमें परिसर दूत (Campus Ambassador) का सहयोग लेना ।
- स्थानीय NGO तथा मण्डलियों का सहयोग, लोक संस्कृति आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से प्रचार प्रचार में प्राप्त करना ।
- समाज के प्रतिष्ठित गैर–राजनैतिक व्यक्तियों का सहयोग लेना ।
- व्यापारी वर्ग का उनके संगठन के माध्यम से विभिन्न विक्रय सामग्री पर मतदान की प्रक्रिया में शामिल होने का आग्रह करने वाले स्टीकर आदि लगावाने का निवेदन करना ।

4. परिसर दूत
Campus Ambassador

स्थानीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में से कुछ विद्यार्थीयों को जो कि नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं, उनको परिसर दूत (Campus Ambassador) के रूप में चिन्हित किया जाना चाहिए तथा उनका सहयोग महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों मे प्रवेश प्राप्त, उन विद्यार्थीयों, जिनके नाम मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं हुए हैं आदि के सहयोग हेतु किया जाना चाहिए । साथ ही सबंधित क्षेत्र में निर्वाचन की प्रक्रिया में सक्रिय प्रशासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों को इन परिसर दूत (Campus Ambassador) का सहयोग करना चाहिए, ताकि नवीन मतदाताओं के पंजीकरण, आदि का कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न हो सके। साथ ही, परिसर दूत (Campus Ambassador) महाविद्यालय स्तर पर सक्रिय रंगकर्मियों, गायकों, आदि को चिन्हित करने तथा उनका उपयोग ग्रामीण मतदाताओं को जागरूक करने हेतु किया जाना चाहिए। परिसर दूत (Campus Ambassador) राष्ट्रीय सेवा योजना एवं एन.सी.सी के स्वयंसेवकों के साथ समन्वय में भी आपको सहयोग करता है । इनकी भूमिका को चिन्हित करते हुए इनका जितना ज्यादा उपयोग किया जा सके वह स्वागत योग्य होगा ।

- पंजीकरण केन्द्र का निर्माण करने में सहयोग देना, साथ ही मतदाता पंजीकरण हेतु आवश्यक प्रारूप क (परिशिष्ट 1) एवं ख (परिशिष्ट 2) आदि उपलब्ध करना ।
- महाविद्यालय में अध्ययनरत् विद्यार्थीयों एवं उनके अभिभावकों एंव परिजनों का पंजीकरण करवाना ।
- विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करना ।
- दिखावटी मतदान केन्द्र की पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन करना ताकि इन पोस्टरों का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों में **मतदाता जागरूकता अभियान** में किया जा सके ।
- नाटक मण्डली का निर्माण करना ताकि उसका प्रयोग ग्रामीण **मतदाता जागरूकता अभियान** में किया जा सके ।

5. प्रचार एवं संचार योजना

Media & Communication Plan

स्थानीय नगरीय निकाय तथा त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत निर्वाचन में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन का प्रयोग तथा इससे संबंधित जानकारी तथा इसके साथ ही मतदाता पंजीकरण आदि का कार्य किया जाना **SENSE अर्थात मतदाता जागरूकता अभियान** का आवश्यक अंग है । तदापि यह आवश्यक है कि राज्य, जिला, तहसील एवं ग्राम पंचायत स्तर पर हम समस्त प्रचार एवं संचार योजना का एक मास्टर प्लान बना ले । जैसा कि हम जानते हैं कि विभिन्न स्तरों पर योजनाओं का स्वरूप एवं आकार दोनों ही भिन्न हो सकते हैं । चूंकि मध्यप्रदेश भौगोलिक एवं सांस्कृतिक रूप से भिन्न है, जैसा कि मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, महाकौशल,चंबल आदि, अतः क्षेत्रीय आधार पर अपनाये जाने वाले साधन भी भिन्न हो सकते हैं, साथ ही किसी क्षेत्र विशेष मे मतदाताओं की समस्यायें एवं चुनौतियां भी भिन्न हो सकती है । धनबल, बाहुबल से संबंधित समस्यायें भी भिन्न हो सकती हैं ।

इस बात का ध्यान रखना है कि प्रचार प्रसार के समस्त साधनों का प्रयोग करना हैं, इस हेतु आकाशवाणी, दूरदर्शन, स्थानीय केबल नेटवर्क, समाचार पत्र, होर्डिगस्, स्थानीय कलाकारों की मंडलियां, लोक कलाकार, लोकनृत्य, लोकगीत के साथ मतदान की प्रक्रिया को जोड़कर ज्यादा प्रभावशाली ढंग से इसको बताया जा सकता है, समस्त उपलब्ध साधनों को मिलाकर एक तंत्र का निर्माण करे, जो कि निर्वाचन से संबधित समस्त जानकारियां मतदाता तक पहुॅचाये एवं मताधिकार के प्रयोग एवं इसके महत्व से अवगत कराये ।

स्थानीय स्तर पर आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं आशा वर्कर की सहायता महिला मतदाताओं से सम्पर्क एवं जागरूकता हेतु की जा सकती है, क्योंकि इनका सम्पर्क ग्रामीण मतदाता में काफी अच्छा होता हैं, तथा इनके माध्यम से मतदाता जागरूकता का कार्य कुशलता एवं दक्षता के साथ किया जा सकता है ।

- ग्रामीण क्षेत्रों में दिखावटी मतदान केन्द्रों के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास करना ।
- पंजीकरण पर जोर देना ।

- हाट–बाजार के दिन ग्रामीण क्षेत्रों में लाउड स्पीकर एवं पर्चों के माध्यम से मतदान पंजीकरण, मताधिकार, तथा नवीन मतदान प्रणाली की जानकारी से अवगत करना ।
- कठपुतली का खेल, लोक संगीत, लोक नृत्य, नुक्कड नाटक इत्यादि के माध्यम से मतदान का अधिकार, पंजीकरण, मतदान प्रक्रिया का ज्ञान सुलभता से दिया जा सकता है ।
- बैंक, राशन की दुकान,शासकीय अस्पताल, तथा ऐसी सभी वो जगह, जहां पर भीड़–भाड़ रहती है, वहाँ बैनर एवं पोस्टर से **मतदाता जागरूकता अभियान** किया जा सकता है ।

6. आयोजन एवं गतिविधियां
Physical Events & Activities

विभिन्न कार्यक्रमों एवं आयोजनों द्वारा भी मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा सकता है, इसके अंतर्गत, रैली, ड्रामा, नुक्कड नाटक, विभिन्न प्रतियोगितायें, जैसे–रंगोली प्रतियोगिता, लोक कला से संबंधित प्रतियोगिता, आदि का आयोजन किया जा सकता है, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में वाद–विवाद, गीत, नृत्य, भाषण आदि प्रतियोगिताओं के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा सकता है । साथ ही मतदाता पंजीकरण कार्य भी किया जा सकता है । विभिन्न आयोजनों के माध्यम से नवीन मतदाताओं को मंच से सम्मान किया जा सकता है । किन्तु यहां यह ध्यान रखना आवश्यक है कि, यदि अधिसूचना जारी हो गई है, तो किसी भी राजनैतिक व्यक्ति एव दल को इसमें शामिल ना किया जाये । अखिल भारतीय स्तर पर यह देखने में आया है कि मतदाता जागरूकता अभियान के पश्चात निर्वाचन एवं मतदान दोनों कि ही प्रकिया में गुणात्मक सुधार हुआ है एवं मतदान का प्रतिशत बढा है ।

- ग्रामीण महिला एवं पुरूष मण्डलियों को मतदान के गीत बनाने तथा गाने के लिये प्रतियोगितओं का आयोजन किया जा सकता है ।

- ब्लाक स्तर पर स्कूल–कॉलेजों में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन, जैसे वाद–विवाद, क्विज, भाषण प्रतियोगिता, मतदान गीत, आदि का आयोजन किया जा सकता है ।
- विशेष मतदाता पंजीकरण शिविरों का आयोजन ।
- सायकल रैली, दौड, संगीत का कार्यक्रम आदि का आयोजन किया जा सकता है।

7. मतदाताओं को सुविधाएं
Voter Facilitation

मतदान की प्रक्रिया में मतदान का प्रतिशत घटने का एक मुख्य कारण मतदाताओं को मिलने वाली सुविधाओं का अभाव भी है। परिणाम स्वरूप मतदाताओं की भागीदारी कम होती है एवं मतदान का प्रतिशत घटने से, प्रजातंत्र की शक्ति प्रभावित होती है। ऐसी स्थिति में मतदाता को निम्नानुसार सुविधाए प्रदान की जा सकती है :–

1. प्रारूप क (परिशिष्ट 1) एवं ख (परिशिष्ट 2) को प्रमुख स्थानों पर उपलब्ध कराना ताकि मतदाता अपना नाम पंजीकृत या स्थानांतरित करवा सके ।
2. विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान चलाये जाये ताकि मतदाताओं का अधिकाधिक पंजीकरण किया जा सके । यह पंजीकरण का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में हॉट बाजार के दिन किया जा सकता है ।
3. मतदान मशीन के संचालन संबंधित जागरूकता ताकि मतदाता मतदान की प्रक्रिया एवं मतदान की मशीन एवं इसके विषय में कुप्रचारित धारणाओं का समाधान किया जा सके ।

4. ग्रामीण क्षेत्रों में हॉट बाजार के दिन एक दिखावटी मतदान केन्द्र बनाकर वास्तविक मतदान की तरह मतदाता को मतदान करने के लिये प्रोत्साहित किया जाये,यंहा पंच, सरपंच, जनपद पंचायत, एवं जिला प्रतिनिधि के मत डालने लिये उन्हे आमंत्रित किया जाये, ताकि वह मतदान की प्रक्रिया को समझ सके, इसके संचालन मे स्थानीय महाविद्यालय के विद्यार्थीयों का सहयोग भी लिया जा सकता है ।
5. प्रत्येक मतदाता को मतदाता पर्ची प्रदान की जाये ताकि वह मतदान की प्रक्रिया में शामिल हो सके, तथा उसको अपने मतदान केन्द आदि की सम्पूर्ण जानकारी हो ।
6. मतदान केन्द की दशा को बेहतर किया जाये वहा पर पीने का पानी, स्त्री–पुरूषों के लिये अलग अलग लाइन, छाया आदि की व्यवस्था हो ताकि किसी भी मतदाता को मतदान करने में परेशानी का सामान ना करना पड़े ।
7. प्रत्येक पोलिंग बूथ पर एक न्यूनतम सुविधाओं की सूची बनाई गयी है , जो कि प्रत्येक बुथ पर होना चाहिए, अतः समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी इन सुविधाओं की व्यवस्था करने का ध्यान रखें ।

8. मतदाता जागरूकता अभियान कलेण्डर

मतदाता जागरूकता अभियान को सघन एवं सार्थक बनाने के लिये **मतदाता जागरूकता अभियान कलेण्डर** बनाया जायेगा, जिसे माध्यम से समय पर किये जाने वाले कार्यो अभियानों की जानकारी प्रदान की जायेगा, साथ ही यह अपेक्षा होगी कि यह कार्य समय सीमा में हो ताकि इच्छित परिणाम प्राप्त किये जा सके ।

इसका एक प्रारूप इस तरह से बनाया जा सकता है ।

कार्ययोजना	प्रारंभ का दिनांक	समाप्ति का दिनांक
दल निर्माण		
दलों का प्रशिक्षण कार्यक्रम		
सहभागिता निर्माण		
संसाधनों का आकलन एवं परीक्षण		
मतदाता पंजीकरण		
महिला मतदाता विशेष पंजीकरण		
पर्यवेक्षण		
मूल्यांकन		
अभिलेखीकरण		

इस तरह समयबध्द कार्यक्रम बनाकर, **मतदाता जागरूकता अभियान** को गति प्रदान की जा सकती है, एवं उसको संचालित एवं नियंत्रित भी किया जा सकता है। साथ ही सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में अपनाई जाने वाली शैली में एकरूपता आती है, जिससे राज्य स्तर पर इसकी समीक्षा करना आसान होता है।

9. सर्वोच्च अधिमान्य क्षेत्र
Highest Priority Area's

मतदाता जागरूकता अभियान (SENSE) की सफलता केवल शासकीय प्रयासों से पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकती है । इस हेतु आवश्यक है कि निर्वाचन की सफलता एवं प्रजातंत्र के सशक्तिकरण के लिये हम समाज के सम्मानित एवं दायित्वपूर्ण संगठनों तथा संस्थाओं को भी मतदाता जागरूकता अभियान (SENSE) में भागीदार बनायें ।

- महाविद्यालयों एवं उच्चतर माध्यमिक(Higher Secondary School) विद्यालयों के 11^{th} & 12^{th} के विद्यार्थीयों को मतदाता जागरूकता अभियान (SENSE) मे शामिल किया जा सकता हैं ।
- विद्यालयीन छात्रों का कार्यक्षेत्र विद्यालय परिसर तक ही सीमित रहेगा, अर्थात समस्त गतिविधियां केवल संस्था स्तर तक ही सम्पन्न हों, परिसर के बाहर इन्हें कोई भी कार्य कदापि ना सौपा जाये ।
- Civil Society Organization अर्थात सामाजिक संस्थाएं, जिनका की किसी राजनैतिक दल के साथ किसी भी प्रकार की कोई संबध्दता (Affiliation) नहीं है, का सहयोग **मतदाता जागरूकता अभियान (SENSE)** में लिया जा सकता है । चूंकि इन संस्थाओं का समाज में प्रभाव होता है, साथ ही इन्हें समाज कार्य का अनुभव भी होता है, जिसका लाभ उठाया जा सकता है । इन संस्थाओं की जानकारी जिला मुख्यालयों में जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध होती है ।
- राज्य, केन्द्र या अन्य किसी शासकीय मद से वित्त पोषित संस्थाए, स्व सहायता समूह (Self Help Group), जो समाज सेवा या अन्य कोई भी कार्य सम्पन्न करती हों, उनका भी सहयोग **मतदाता जागरूकता अभियान (SENSE)** मे लिया जा सकता है ।
- सरकारी क्षेत्र की कम्पनियां(PSU) एवं उनके रहवासी क्षेत्रों का उपयोग भी **मतदाता जागरूकता अभियान (SENSE)** मे लिया जा सकता है । जैसे बैंक, पेट्रोल पम्प, इत्यादि । सरकारी क्षेत्र की कम्पनियां(PSU) एवं उनके रहवासी क्षेत्रों मे मतदाता पंजीकरण का कार्य भी किया जा सकता है ।

- समस्त वह संगठन जिनकी सामाजिक भागीदारी एवं प्रभाव का क्षेत्र ज्यादा है, उनके साथ अनुबंध (MOU) किया जा सकता है । जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन (NRLM) एवं इस तरह के अन्य मिशन आदि ।
- व्यावसायिक संगठन जिनकी संगठनात्मक शक्ति एवं आधारभूत ढांचॉ पर्याप्त बड़ा है, जैसे कि FICCI, CII आदि, इनके साथ भी अनुबंध (MOU) कर इनके संगठन की शक्ति का उपयोग **मतदाता जागरूकता अभियान (SENSE)** मे लिया जा सकता है ।

10.पर्यवेक्षण एवं आंकलन
Monitoring and Review

मतदाता जागरूकता अभियान (SENSE) का पर्यवेक्षण एवं आंकलन समय–समय पर किया जाना अपेक्षित है, अन्यथा इस कार्यक्रम के द्वारा चाहे गये प्रभाव प्राप्त नहीं हो सकेंगे । इस हेतु राज्य स्तर पर एक पर्यवेक्षण एवं आंकलन कक्ष(Monitring and Review cell) का गठन किया जायेगा, जिला स्तर पर जिला पंचायत CEO इसके प्रभारी होंगे तथा तहसील स्तर पर ब्लॉक CEO इसके प्रभारी होगे जो समय–समय पर निर्धारित कि गयी समय–सारणी के अनुसार समस्त कार्यो यथा मतदाता पंजीकरण, मतदाता पर्ची ,इनका वितरण, जागरूकता अभियान हेतु किये प्रयासों आदि का सम्पादन किया जा रहा या नहीं इस पर नजर रखेंगे एवं इसकी विस्तृत जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित करेंगे ।

11.मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण
Evaluation and Documentation

जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन की समाप्ति के पश्चात **मतदाता जागरूकता अभियान (SENSE)** में की गई समस्त गतिविधियों का विस्तृत विवरण, इसके परिणाम, इसमें किये गये अभिनव प्रयोगों का मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण करेगे। इसकी सम्पूर्ण जानकारी जिला पंचायत CEO को देंगे, जिला पंचायत CEO, इसको राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित करेंगे । इन जानकारियों मे स्त्री–पुरूष मतदाता, नवीन पंजीकृत मतदाता, फोटो पहचान पत्र का प्रयोग करने वाले मतदाता आदि महत्वपूर्ण जानकारियों का समावेश होगा । साथ ही जहां पूर्व में न्यूनतम मतदान हुआ था । उन मतदान केन्द्रो पर मतदाता जागरूकता अभियान का क्या प्रभाव पडा,कितना प्रतिशत मतदान बढ़ा, आदि की जानकारी भी देंगे ।

नगरीय निकाय तथा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2014–15

नगरीय निकाय एवं त्रि–स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2014–15 में इस वर्ष राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल ने यह निर्णय लिया कि निर्वाचन मे मतदान हेतु पारम्परिक मतपत्रों का प्रयोग ना करते हुए, इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जायेगा। केवल पंच के पद के निर्वाचन हेतु ही पारम्परिक मतपत्र का प्रयोग किया जायेगा। इस कारण इस निर्वाचन में मतदाता जागरूकता अभियान **Systematic Education, Nurturing & Sensitization of Electorate (SENSE)** का महत्व और भी बढ़ गया है। मतदाता को मतदान की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से सिखाने की राज्य निर्वाचन आयोग की मंशा है। इस हेतु सघन एवं सार्थक प्रयास किये जाने चाहिए।

आधुनिक EVM इसमें खास क्या है ?

राज्य निर्वाचन आयोग **स्थानीय नगरीय निकाय एवं त्रि–स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2014–15** में आधुनिक **EVM** का उपयोग करने जा रहा हैं, जो कि कई मायनो में बेहतर है । साथ ही आठ पदो के लिये निर्वाचन हेतु एक विश्वसनीय मशीन है ।

इसमें कंट्रोल यूनिट के साथ एक समय में अधिकतम चार बैलेट यूनिट को इंटर कनेक्टिंग कैबल के माध्यम से जोड़ा जा सकता है । यह मशीन एक समय में कुल 60 उम्मीदवारों का निर्वाचन करने के लिये उपयोग में लाई जा सकती है ।

कंट्रोल यूनिट पूर्ववत् ही रहता है, लेकिन बैलेट यूनिट में कुल सोलह बटनों में सोलहवा बटन END बटन होता है, जिसका उपयोग निर्वाचन के लिये नहीं किया जा सकता है ।

अगर बैलेट यूनिट में एक से अधिक पदों के लिये निर्वाचन किया जा रहा है, तो प्रत्येक निर्वाचन के लिये अलग–अलग रंग के मतपत्रों का उपयोग किया जाता है, ताकि किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति ना रहे । प्रत्येक पद के लिये अभ्यर्थीयों का नाम उसका चिन्ह आवश्यक रूप से दर्शित किया जाता है ।

लोकसभा एवं विधानसभा में अभी तक प्रयुक्त EVM से यह EVM भिन्न है। इसमें निर्वाचन प्रारंभ–समाप्ति का समय, वार्ड का क्रमांक, बूथ क्रमांक, मशीन क्रमांक, उम्मीदवारों की संख्या, डिटेचेबल मैमोरी मॉड्यूल एवं इसका क्रमांक, बैटरी पॉवर स्टेटस, प्रिंटिंग, ब्रेल लिपी बैलेट यूनिट,टेम्पर प्रूफिंग, आदि सुविधा है । ज्ञात हो कि राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे विशेष तौर से निर्वाचन की आवश्यक्ताओं को विश्लेषण कर तैयार करवाया है। इस EVM मे एक END बटन है जो कि पूर्व के EVM मे नहीं था। यह बटन इस EVM की खासियत है, यह कई तरह से प्रयोग में आता है। यह मशीन परिणाम केवल डाले गये मत ही नहीं बताती बल्कि, अधूर डाले गये (Under Vote/NO Vote), तथा अपूर्ण (Unfinished Vote) मतदान भी बताती है ।

यही कारण है कि इस निर्वाचन में **मतदाता जागरूकता अभियान (SENSE)** का महत्व बहुत बढ़ गया है, ना केवल मतदाता के लिये बल्कि समस्त निर्वाचन अधिकारियो एवं निर्वाचन दलों के लिये भी ।

नगरीय निकाय निर्वाचन–2014

नगर परिषद, नगर पालिका एवं नगर पालिका निगम हेतु निर्वाचन में नगर परिषद अध्यक्ष एवं पार्षद, नगर पालिका अध्यक्ष एवं पार्षद तथा नगर पालिका निगम महापौर एवं पार्षद के लिये निर्वाचन एक साथ होते हैं। **नगरीय निकाय निर्वाचन–2014** में समस्त स्तरों पर EVM का उपयोग किया जायेगा । नगर परिषद अध्यक्ष एवं पार्षद, नगर पालिका अध्यक्ष एवं पार्षद तथा नगर पालिका निगम महापौर एवं पार्षद का निर्वाचन आधुनिक EVM में एक साथ ही किया जा सकता हैं । महत्वपूर्ण यह है कि किसी पद के लिये कितने उम्मीदवार निर्वाचन की प्रक्रिया में सम्मिलित हो रहे हैं । नगर परिषद अध्यक्ष एवं पार्षद, नगर पालिका अध्यक्ष एवं पार्षद तथा नगर पालिका निगम महापौर एवं पार्षद आदि दोनों ही पदों के लिये पृथक–पृथक बैलेट यूनिट के द्वारा मतदान सम्पन्न किया जा सकता है ।

इसके विपरीत यदि संख्या ज्यादा है, तो अधिकतम 60 तक कुल उम्मीदवारों का निर्वाचन कुल चार बैलेट यूनिट के द्वारा किया जा सकता हैं । राज्य निर्वाचन आयोग वर्तमान में एक पद के लिये एक बैलेट यूनिट का उपयोग करना चाह रहा है, ताकि मतदाता को मतदान में सुविधा हो ।

त्रि–स्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान 2014–15

त्रि–स्तरीय पंचायत निर्वाचन2014–15 मे पंच, सरपंच, जनपद एवं जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन एक साथ किया जाना है । जिसमें से केवल पंच के लिये पूर्ववत् पारम्परिक छपे हुए मतपत्र के माध्यम से मतपेटी में मतपत्र डाल कर मतदान किया जायेगा । इसके अतिरिक्त शेष पदों–सरपंच, जनपद एवं जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के लिये EVM का उपयोग किया जायेगा ।

किसी भी मतदान केन्द्र के भीतर दो बूथ बनाये जायेंगे पहले बूथ में पंच और सरपंच का मतदान होगा, इसमें से पंच का मतदान पारम्परिक मतपत्र के माध्यम से तथा सरपंच का चुनाव इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन के माध्यम से होगा । पंच के छपे हुए मतपत्र पर मतदाता मोहर लगाकर मतदान करेगा । सरपंच के लिये EVM का उपयोग कर मतदान करने के पश्चात प्रथम मतदाता बाहर आकर एक मतपेटी में अपना पंच का मत पारम्पकि ढंग से डाल देगा । फिर अगले बूथ में जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन के माध्यम से किया जायेगा, जो अंतिम बैलेट यूनिट होगी ।

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2014–15 में मतदान केन्द्र मे पीठासीन अधिकारी के अतिरिक्त चार मतदान अधिकारी होंगे, मतदान अधिकारी(PO-I), मतदान अधिकारी(PO-II), मतदान अधिकारी(PO-III), मतदान अधिकारी(PO-IV) प्रथम तीन अधिकारियों के कर्तव्य लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन की ही तरह के होंगे। किन्तु मतदान अधिकारी(PO-IV) एक मार्गदर्शक अधिकारी होगा । इसका कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक मतदाता को मतदान के प्रक्रिया में उचित निर्देश देता रहेगा तथा मतदान कि प्रक्रिया को समझने एवं सम्पन्न करने में सहायता भी करेगा।

उदाहरण के लिये एक मतदाता मतदान केन्द्र में प्रवेश करेगा, तो वह सबसे पहले मतदान अधिकारी(PO-I) के पास आयेगा । मतदान अधिकारी उसकी पहचान को स्थापित करेगा एवं उसको मतदान के लिये मतदान अधिकारी(PO-II) जो कि

मतदाता रजिस्टर, अमीट स्याही एवं मतदाता पर्ची का प्रभारी है कि पास भेजेगा । मतदान अधिकारी(PO-II) मतदाता से पर्ची प्राप्त कर उसको नई पर्ची प्रदान करेगा, अमीट स्याही का निशान बाये हाथ के तर्जनी अंगुली में इस तरह से लगाायेगा कि वह आधे नाखून पर तथा आधी त्वचा पर भी आये, इसके पश्चात मतदाता पंजी में उसके उपस्थित होने के क्रम के सामने मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में दर्ज उसके क्रमांक को दर्ज करेगा, हस्ताक्षर प्राप्त करेगा एवं उसको मतदान अधिकारी(PO-III) के पास प्रेषित करेगा, मतदान अधिकारी(PO-III) उसके द्वारा लाई गई पर्ची को अपने पास एक स्टेण्ड में जमा कर लेगा और इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन में मत जारी करेगा, साथ ही घुमते तीरो के निशान वाली मोहर इंक लगाकर देगा, तथा मतपत्र को इस तरह से मोडेगा कि मतदाता के द्वारा लगाया गया मोहर का निशान सामने के किसी अन्य प्रत्याशी के सामने ना आये तथा मतपत्र रदद् ना हो । इसके पश्चात उसको मतदान केन्द्र मे जाने को कहेगा । मतदान अधिकारी(PO-IV) जो कि एक मार्गदर्शक है वह दोनो मतदान केन्द्र के मध्य में एक मतपेटी लेकर बैठेगा तथा इस बात का ध्यान रखेगा कि मतदाता ने अपना मत इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन में डाल दिया है तथा पंच का पारम्परिक मतपत्र मतपेटी में डाला है, इसके पश्चात उसको दूसरी इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन मे मतदान करने हेतु आग्रह करेगा, मतदाता के द्वारा बटन दबाया गया कि नहीं, इसका ध्यान रखेगा, यदि बीब की आवाज नहीं आती है, तो वह मतदाता को यह सूचित करेगा कि मतदान की प्रक्रिया शेष है, तथा पूर्ण करने हेतु निवेदन करेगा, तथा मतदान पूर्ण करवायेगा।